

## राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

- |                                         |                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| 1. <u>अपील संख्या-2707/2016/जयपुर</u>   | 8. <u>अपील संख्या-2714/2016/जयपुर</u>  |
| ✓ 2. <u>अपील संख्या-2708/2016/जयपुर</u> | 9. <u>अपील संख्या-2715/2016/जयपुर</u>  |
| 3. <u>अपील संख्या-2709/2016/जयपुर</u>   | 10. <u>अपील संख्या-2716/2016/जयपुर</u> |
| 4. <u>अपील संख्या-2710/2016/जयपुर</u>   | 11. <u>अपील संख्या-2717/2016/जयपुर</u> |
| 5. <u>अपील संख्या-2711/2016/जयपुर</u>   | 12. <u>अपील संख्या-2718/2016/जयपुर</u> |
| 6. <u>अपील संख्या-2712/2016/जयपुर</u>   | 13. <u>अपील संख्या-2719/2016/जयपुर</u> |
| 7. <u>अपील संख्या-2713/2016/जयपुर</u>   | 14. <u>अपील संख्या-2720/2016/जयपुर</u> |

मैसर्स फन मल्टीप्लेक्स प्रा. लि. ट्राईटन मॉल,  
चौमू पुलिया सर्किल के पास, जयपुर

.....अपीलार्थी.

बनाम्

वाणिज्यिक कर अधिकारी प्रतिकरापवंचन संभाग-तृतीय, जयपुर

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

राजीव चौधरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री जे.एन. शर्मा

अभिभाषक।

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री डी.पी. ओझा

उप-राजकीय अभिभाषक।

..... प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 05.04.2017

निर्णय

1. उक्त समस्त अपीलें अपीलार्थी कम्पनी द्वारा अपीलीय प्राधिकारी, तृतीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा गया है) के अपील सं. 124 से 137/अपी.प्राधि-तृतीय/मनोरंजनकर/2016-17 में पारित किये गये आदेश दिनांक 19.10.2016 के विरुद्ध राजस्थान मनोरंजन एवं विज्ञापन कर अधिनियम, 1957 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा गया है) की धारा 13ए के तहत प्रस्तुत की गयी है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा राजस्थान राज्य में सीनेमा हॉल का संचालन किया जाता है। अपीलार्थी कम्पनी द्वारा सिनेमा हॉल के टिकटों की बिक्री बुकिंग कॉउन्टर से तथा ऑनलाईन बुकिंग के माध्यम से की जाती है। कम्पनी द्वारा ऑनलाईन टिकट बुकिंग पर ग्राहकों से कन्वेस चार्ज/इन्टरनेट हैंडलिंग फी (Convenience Charges/Internet Handling Fees) के नाम से प्रत्येक टिकट 17.10 रुपये अलग से लिये जाते हैं। कर निर्धारण अधिकारी वक्त जांच पाया कि अपीलार्थी कम्पनी द्वारा इस अतिरिक्त वसूल की गई राशि पर मनोरंजन कर नहीं चुकाया गया है। जबकि राजस्थान मनोरंजन एवं विज्ञापन कर अधिनियम 1957 की धारा 4(1) के तहत ग्राहकों से वसूल की गई समस्त राशि पर मनोरंजन कर देय है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के इस कृत्य को करापवंचन मानते हुए अपीलार्थी कम्पनी द्वारा अतिरिक्त वसूल की गई राशि

लगातार.....2.

*Amish Kumar*  
05/04/17



पर 30 प्रतिशत की दर से कर व उक्त राशि राजकोष में जमा नहीं कराने पर अधिनियम की धारा 9ए के तहत ब्याज आरोपित किया गया तथा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त राशि पर करापवंचन किये जाने के कारण अधिनियम की धारा 10(3)(b) के तहत अन्तर कर की दुगुनी राशि की शास्ति आरोपित की गई। जो निम्न प्रकार है:-

| क्र. सं. | कर बोर्ड की अपील संख्या | अपीलीय अधिकारी अपील संख्या | कर निर्धारण अवधि | मनोरंजन कर | ब्याज | शास्ति अन्तर्गत धारा 10(3) (बी) | विवादित कुल राशि |
|----------|-------------------------|----------------------------|------------------|------------|-------|---------------------------------|------------------|
| 1        | 2707 / 2016             | 124                        | अगस्त, 2014      | 38559      | 15616 | 77118                           | 131293           |
| 2        | 2708 / 2016             | 125                        | सित., 2014       | 17226      | 6632  | 34452                           | 58310            |
| 3        | 2709 / 2016             | 126                        | अक्टू., 2014     | 48520      | 17709 | 97040                           | 163269           |
| 4        | 2710 / 2016             | 127                        | नव., 2014        | 14257      | 4919  | 28514                           | 47690            |
| 5        | 2711 / 2016             | 128                        | दिस., 2014       | 69314      | 22527 | 138628                          | 230469           |
| 6        | 2712 / 2016             | 129                        | जन, 2015         | 16169      | 4932  | 32338                           | 53439            |
| 7        | 2713 / 2016             | 130                        | फर, 2015         | 12773      | 3641  | 25546                           | 41960            |
| 8        | 2714 / 2016             | 131                        | मार्च, 2015      | 13377      | 3545  | 26754                           | 43676            |
| 9        | 2715 / 2016             | 132                        | अप्रैल, 2015     | 34942      | 8560  | 69884                           | 113386           |
| 10       | 2716 / 2016             | 133                        | मई, 2015         | 64376      | 14485 | 128752                          | 207613           |
| 11       | 2717 / 2016             | 134                        | जून, 2015        | 64719      | 13267 | 129438                          | 207424           |
| 12       | 2718 / 2016             | 135                        | जुलाई, 2015      | 92305      | 17077 | 184610                          | 293992           |
| 13       | 2719 / 2016             | 136                        | अगस्त, 2015      | 54629      | 9013  | 109258                          | 172900           |
| 14       | 2720 / 2016             | 137                        | सित, 2015        | 25817      | 3744  | 51634                           | 81195            |

कर निर्धारण अधिकारी के इस आदेश के विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति को अपास्त करते हुए, कर एवं ब्याज को यथावत रखा गया। अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी आदेश दिनांक 19.10.2016 से व्यथित होकर कर एवं ब्याज को अपास्त करने के बिन्दु पर द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

- उक्त समस्त अपीलों के पक्षकार, तथ्य व विवादित बिन्दु सदृश्य हैं। अतः अपीलों का निस्तारण संयुक्त निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।
- उभय पक्ष की बहस सुनी गई।
- अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपीलीय आदेश का खण्डन करते हुए कथन किया गया कि अपीलार्थी कम्पनी द्वारा दो तरह से टिकटों की बुकिंग की जाती हैं, काउन्टर से व अनुबन्ध पर सेवा प्रदाता कम्पनी के द्वारा Book my show के माध्यम से ऑनलाईन। ऑनलाईन टिकिट बुकिंग करने पर कुछ राशि सेवा प्रदाता द्वारा क्रेता से टिकिट मूल्य के अतिरिक्त वसूली जाती है। उक्त वसूली की गई राशि अपीलार्थी कम्पनी को प्राप्त नहीं होती है बल्कि सेवा प्रदाता कम्पनी स्वयं के पास रखती है। इस प्रकार अपीलार्थी को सिनेमा हॉल में प्रवेश के टिकट के मूल्य का ही

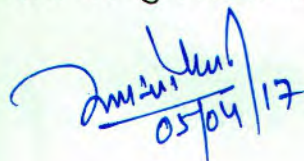
लगातार.....3.

*Amrinder*  
05/04/17



हस्तान्तरण होता है। अतः Convenience charges/ Internet Handding Fees के पेटे वसूल की गयी राशि पर मनोरंजन कर अधिनियम 1957 की धारा 4(1) के तहत मनोरंजन कर देय नहीं होता है।

6. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने आगे कथन किया कि ऑनलाईन द्वारा ग्राहकों की सुविधा हेतु जो सर्विस उपलब्ध कराई जाती है उसके एवज में सर्विस चार्ज वसूल किया जाता है इसका मनोरंजन से कोई संबंध नहीं है किन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बिना किसी आधार के व मनमाने तरीके से मनोरंजन कर अधिनियम के प्रावधानों की गलत व्याख्या करते हुए उक्त राशि पर करारोपण कर दिया गया, जो न्यायोचित नहीं है तथा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा राजस्थान मनोरंजन एवं विज्ञापन कर अधिनियम, 1957 की धारा 4 एवं 5सी के तहत जो कार्यवाही की गई है वह कर निर्धारण अधिकारी के क्षेत्राधिकार में नहीं आती है। इसके अतिरिक्त कथन किया कि ऑनलाईन बुकिंग Book My Show के जारिये Convenience charges/ Internet Handding Fees के पेटे वसूल की गई राशि अपीलार्थी कम्पनी को प्राप्त नहीं होती है क्योंकि यह राशि सिनेमा हॉल में प्रवेश फीस का भाग नहीं है। चूंकि अपीलार्थी कम्पनी द्वारा उक्त राशि अनुबंधन के तहत तृतीय पक्ष द्वारा सर्विस उपलब्ध कराने के एवज में वसूल की जाती है तथा इस राशि पर नियमानुसार सर्विस चार्ज सेवाकर दाता द्वारा वसूल किया जाता है। इस प्रकार उक्त राशि प्रवेश से संबंधित नहीं होने के कारण इस पर मनोरंजन कर का दायिव नहीं बनता है। अपने उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक न कथन किया है कि जब कर का आरोपण ही अविधिक है तो ऐसी स्थिति में ब्याज का आरोपण नहीं किया जा सकता। अग्रिम कथन किया कि अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा तथ्यों की गलत व्याख्या करते हुए कर व ब्याज राशि को यथावत रखने का आदेश पारित किया गया है, जो अविधिक होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अपने उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक द्वारा अपीलार्थी की अपील को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।
7. राजस्व के उप राजकीय अभिभाषक द्वारा अपीलीय आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया गया कि राजस्थान मनोरंजन एवं विज्ञापन कर अधिनियम 1957 की धारा 4(1) में "..... all payments for admission to an entertainment" का अभिप्राय है कि सिनेमा हॉल में प्रवेश से पूर्व ग्राहकों द्वारा किये गये समस्त प्रकार के भुगतान से है। अपीलार्थी द्वारा सिनेमा हॉल में मनोरंजन के कम में जो भी सुविधाएं ग्राहकों को प्रदान की जाती है उसके एवज में ली जाने वाली समस्त राशियों पर मनोरंजन कर देय है। मनोरंजन हेतु टिकिट ऑन लाईन या ऑफ लाईन प्रदान करना अपीलार्थी व्यवहारी की सुविधा पर निर्भर करता है। ग्राहकों द्वारा जो

  
05/04/17



भी राशि दी जाती हैं वह मनोरंजन के पेटे ही दी जाती है। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उचित रूप से करारोपण किया गया जिसे यथावत रखने में अपीलीय अधिकारी द्वारा कोई विधिक त्रुटि कारित नहीं की गई है। अतः अपीलार्थी की अपील को अस्वीकार करते हुए अपीलीय अधिकारी के आदेश को यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

8. उभय पक्ष की बहस सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।
9. अपीलार्थी कम्पनी द्वारा अपने सिनेमा हॉल के लिए बुकिंग विन्डों से Book My Show के द्वारा ऑनलाईन टिकटों की बिक्री की जाती है। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा बिक्रीत ऑनलाईन टिकटों पर अतिरिक्त राशि वसूल की जाती है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इस अतिरिक्त राशि पर कर की देयता मानते हुए अपीलार्थी द्वारा कर जमा न कराने पर करापवंचन मानते हुए कर व ब्याज एवं शास्ति का आरोपण किया गया। अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा कर व ब्याज को यथावत रखा तथा व्यवहारी के समस्त संव्यवहार नियमित लेखा पुस्तिका में इन्दाज होने से उसकी करापवंचन की मनोदशा प्रकट होने के कारण शास्ति अपास्त की गई।
10. प्रकरण में विवादित बिन्दु यह है कि ऑनलाईन टिकट बिक्री पर सेवाओं के रूप में अतिरिक्त वसूल की गई राशि पर कर की देयता है अथवा नहीं?
11. प्रकरण में राजस्थान मनोरंजन एवं विज्ञापन कर अधिनियम, 1957 की धारा 4(1) का अवलोकन करना समीचीन होगा, जो इस प्रकार है :-

**4. Levy of tax on payment for admission:-**

(1) There shall be levied, charged and paid to the State Government on **all payments for admission to an entertainment**, 3[other than entertainment to which section 4AA applies,] a tax at such rate not exceeding 100 percent of the payment for admission, as may be notified by the State Government, from time to time, subject to a minimum of five paise in any one case, the amount of tax wherever necessary shall be rounded off to the nearest multiple of five paise, fractions of two and half paise or more being counted as five paise, and less than two and half paise being ignored.

इस संबंध में अपीलीय अधिकारी द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा सिनेमा हॉल में मनोरंजन के क्रम में जो भी सुविधा ग्राहकों को प्रदान की जाती हैं उसकी एवज में ली जाने वाली समस्त राशियों पर अधिनियम की धारा 4(1) के अन्तर्गत मनोरंजन कर देय है। परन्तु इस संबंध में वित्त विभाग (कर अनुभाग) द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एफ.12(14) एफडी/टैक्स/2017-98 दिनांक 08.03.2017 का उल्लेख किया जाना भी समीचीन होगा, जो निम्न प्रकार है:-

**S.O.165** :- In exercise of the powers conferred by sub - section (2) of

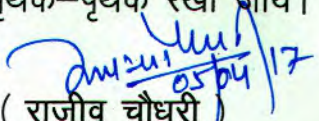
लगातार.....5.

*Amrit Kumar*  
05/04/17



section 7 of the Rajasthan Entertainments and Advertisements Tax Act, 1957 (Act No. 24 of 1957), the State Government being of the opinion that reasonable grounds exist for doing so in the public interest, hereby, with effect from 01-08-2014, remits 100% entertainment tax leviable under section 4 of the said Act, on the amount charged for rendering the service of online booking of tickets for admission to an entertainment by the service provider, on the condition that the amount of entertainment tax charged or collected on the said amount shall be deposited with the State Government and if already deposited, shall not be refunded.

12. वित्त (कर) अनुभाग द्वारा जारी उपरोक्त अधिसूचना के द्वारा दिनांक 01.08.2014 से सेवा प्रदाता ऑनलाईन बुकिंग की एवज में कोई अन्य चार्ज (राशि) वसूल करता है उस राशि पर मनोरंजन कर से शत प्रतिशत छुट इस शर्त के साथ प्रदान की गई है कि उनके द्वारा उक्त अन्य राशि पर मनोरंजन कर चार्ज किया गया है या संग्रहित किया गया है वह राशि राजकोष में जमा करवाई जायेगी एवं पूर्व में इस तरह की जमा राशि का प्रतिदाय (refund) नहीं दिया जायेगा। ऐसी स्थिति में यह निर्णित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा जिन सेवाओं हेतु कर के रूप में राशि अधिरोपित की गई है या संग्रहित की है वह राशि ही अब जमा योग्य है परन्तु जिन अन्य राशियों पर कोई कर चार्ज ही नहीं किया है उन पर अब कर आरोपणीय नहीं है। अतः उक्त अधिसूचना के प्रकाश में समस्त प्रकरणों को कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिया जाना न्याय संगत है कि वह अपीलार्थी की लेखों की जांच कर जिन सेवाओं पर कर चार्ज किया अथवा संग्रहित किया है वह राशि जमा कराने हेतु कर निर्धारण करें परन्तु जो चार्ज या संग्रहित नहीं किया गया है उसे कर से मुक्ति प्रदान करें।
13. परिणामस्वरूप अपीलार्थी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत समस्त अपीलें नोटिफिकेशन दिनांक 08.03.2017 के प्रकाश में स्वीकार की जाकर, उक्त समस्त प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को नोटिफिकेशन दिनांक 08.03.2017 के अनुसार इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उक्त नोटिफिकेशन के लागू होने की दिनांक 01.08.2014 से अपीलार्थी कम्पनी के ऑनलाईन बुकिंग पर बिक्रीत टिकटों पर सेवाएं हेतु चार्ज अन्य राशि पर मनोरंजन कर की देयता दर्शित कर मनोरंजन कर आरोपित एवं संग्रहित किया गया है, उसे पृथक करते हुए अपीलार्थी की लेखों की जांच कर जिन सेवाओं पर कर चार्ज किया अथवा संग्रहित किया है वह राशि जमा कराने हेतु पुनः कर निर्धारण करें परन्तु जो चार्ज या संग्रहित नहीं किया गया है उसे कर से मुक्ति प्रदान करें किन्तु पूर्व में इस तरह की जमा राशि प्रतिदाय (refund) योग्य नहीं है।
14. निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जाये।

  
 (राजीव चौधरी)  
 सदस्य